SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

स्वसहायता समूह का वित्तीय समावेशन एवं उनके जीवनयापन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

श्वेता महाकालकर, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
देवाशीष मुखर्जी, (Ph.D.), प्राचार्य
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
श्वेता महाकालकर, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
देवाशीष मुखर्जी, (Ph.D.), प्राचार्य
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/05/2021
Revised on : -----
Accepted on : 31/05/2021
Plagiarism : 05% on 24/05/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 5%

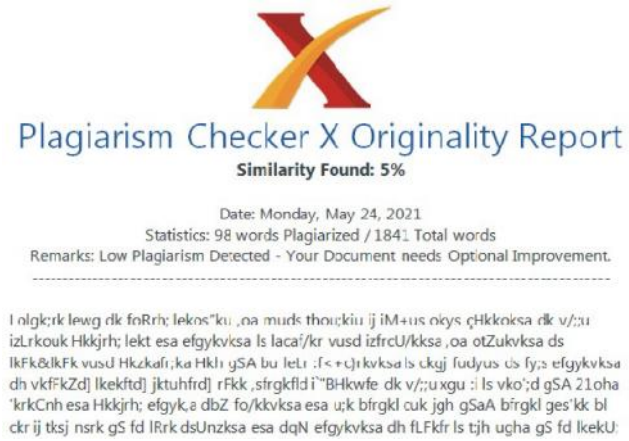

Date: Monday, May 24, 2021
Statistics: 98 words Plagiarized / 1841 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

I olgk;rk lewg dk foRrh; lekos"ku ,oa muds thou;kiu ij iM+us okys çHkkoksa dk v/;;u izLrkouk Hkkjrh; lekt esa efgykvksa ls lacaf/kr vusd izfrcU/kksa ,oa otZukvksa ds lkFk&lkFk vusd Hkzkafr;ka Hkh gSA bu leL;kvksa ls ckgj fudyus ds fy;s efgykvksa dh vkfFkZd] lkekftd] jktuhfrd] rFkk ,sfrgkfld i`"BHkwfe dk v/;;u xgu :i ls vko';d gSA 21oha 'krkCnh esa Hkkjrh; efgyk,a dbZ fo/kkvksa esa u;k bfrgkl cuk jgh gSaA bfrgkl ges'kk bl ckr ij tksj nsrk gS fd lRrk dsUnzksa esa dqN efgykvksa dh fLFkfr ls t;jh ugha gS fd lkekU;

शोध सार

स्व–सहायता समूह निर्धन लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें वे अपनी सभी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से करते हैं, एवं स्वैच्छिक आधार पर नियमित बचत करते हैं और इस बचत से अपने समूह की ऋणी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परिणामस्वरूप समूह में वित्तीय अनुशासन की समझ विकसित होती है। स्व–सहायता समूह में संगठनात्मक (संरचना) कलेवर की अनुकूलतम दृष्टि का सर्वाधिक उन्नयन के लिए प्रस्तुत शोध में उद्देश्य निहित है। वित्तीय समावेशी न केवल आर्थिक व्यव्हार को अनुशासित करता है, अपितु इस आधार पर चलने वाले समस्त पथ को एक सही दिशा प्रदान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन्हीं उद्देश्यों का आंकलन एवं मूल्यांकन हेतु शोधकर्ता द्वारा रायपुर जिले के चार विकासखंड के स्व–सहायता समूह का वित्तीय समावेश एवं उनके जीवन यापन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु 1–1 स्व–सहायता समूह का दैव प्रतिचयन पद्धति से कुल 4 समूह को स्थल सर्वेक्षण के लिए चुना है तथा चार समूह में से प्रत्येक समूह से 5 महिलाओं का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 4 महिला स्व–सहायता समूह से 20 महिलाओं का चयन किया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों के अंतर्गत यह पाया गया है, कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में विकासखंड एवं तहसील में स्व सहायता समूह अधिक प्रभावशाली है। ऐसी महिलाएं या महिलाओं का समूह जिन्होंने स्व–सहायता समूह में प्रवेश किया है, उन महिलाओं की आर्थिक जीवन स्तर में आशातीत प्रगति हुई है।

मुख्य शब्द

महिला स्व–सहायता समूह, आत्मनिर्भर, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, आर्थिक जीवन स्तर.

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित अनेक प्रतिबन्धों एवं वर्जनाओं के साथ–साथ अनेक भ्रांतियां भी है। इन समस्त रूढ़िबद्वताओं से बाहर निकलने के लिये महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन गहन रूप से आवश्यक है। 21वीं शताब्दी में भारतीय महिलाएं कई विधाओं में नया इतिहास बना रही हैं। इतिहास हमेशा इस बात पर जोर देता है कि सत्ता केन्द्रों में कुछ महिलाओं की स्थिति से जरूरी नहीं है कि सामान्य महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए। यह अध्ययन मुख्य रुप से भूमिहीन व सीमान्त महिलाओं के वित्तीय समावेष व उनके जीवन स्तर में हुयी वृद्वि पर ध्यान केन्द्रित करता हैं ।

भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, 623,724,248 पुरूषों और 586,469,174 महिलाओं के साथ भारत की जनसंख्या 1,210,854,977 है। वर्तमान में देश में कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 49.87 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 48.2 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि 1986 में कुछ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में "नारी अध्ययन" हेतु केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, किन्तु इससे पूर्व ही लैंगिक दृष्टि से नारी अध्ययन के तहत शोध कार्य प्रारंभ हो चुके थे। मुंबई का एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है, जिसने 1974 में नारी अध्ययन हेतु शोध केन्द्र की स्थापना की। 1960 से 1973 के दौरान सरकार द्वारा नियुक्त कुछ आयोगों ने, महिला कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों, महिलाओं की बेरोजगारी और स्थापनागत दिक्कतों को केवल उजागर किया।

1975 में हुये नारी संबंधी शोधों का राजनीतिक संदर्भ एकदम अलग था। 1971 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति की तकलीफदेह स्थिति का खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया। इस रिपोर्ट में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े कुछ गंभीर तथ्यों का वर्णन किया गया। ज्ञातव्य है कि, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ग करने और फिर उसे एक दशक तक बढ़ाने से महिलाओं से जुड़े प्रश्नों के बाबत् गतिविधियां बढ़ी।

भारत में भी इसी आशय के अंतर्गत प्रारंभिक सशक्तीकरण ग्रामीण परिवेश में ''स्व–सहायता समूह'' {Self Help Groups (SHG)} के नाम से समस्त ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिये ''महिला सशक्तीकरण'' की दिशा में विगत 15–20 वर्षों से विभिन्न नीतियों को लागू किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की परिभाषाऐं निम्नानुसार दी जा सकती हैं:

1. **यूनिसेफ (United Nation"s International Children"s Emergency Fund- UNICEF) के अनुसारः** ''स्वयं सहायता समूह अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा समस्या समाधान के लिये ऐच्छिक सामूहिक प्रयास करने का एक साधन है।''
2. **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसारः** ''स्वयं सहायता समूह एक छोटी इकाई है जिसमें ग्रामवासी स्वेच्छा से और सामाजिक समानता के आधार पर समूह के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमानुसार, निश्चित राशि की बचत करते हैं और एक दूसरे का इस कोष से सहयोग करते हैं। समूह के सभी आर्थिक निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।''

स्व–सहायता समूह की कार्य प्रणाली एवं वित्तीय स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य एक नवगठित राज्य है। राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की असंगठित क्षेत्र की ग्रामीण तथा अप्रशिक्षित महिलाओं में स्वावलंबन तथा राज्य की विकास मात्रा में भागीदारी बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों का

दोहन करने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग को विशेष स्थान दिया जा रहा है।

राज्य में महिला सशक्तीकरण को गति देने के लिये राज्य शासन ने ग्रामोद्योग से संबंधित लघु/कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व दिया है। इसी कड़ी में राज्य के बहुत से जिलों में महिलाओं के समूह साथ स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। ऋण/अनुदान की सुविधा के लिये इन स्व–सहायता समूहों का बैंक में खाता खुलवाया गया। बैंक से स्व–रोजगार योजना के मद से ऋण लेकर दोना–पत्तल, अगरबती, कपड़े धोने का पाउडर तथा मोमबत्ती बनाने का एक छोटा सा उपक्रम तथा इसी प्रकार के अन्य उपक्रम स्थापित किये गये। महिला सदस्यों ने अर्जित आय बचत से समूह की पूंजी का निर्माण किया। पूंजी निर्माण का उपयोग सदस्यों को कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कर समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।

स्व–सहायता समूह की प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह 50 रू. जमा करके बैंक में सामूहिक रूप से अपने खाते में जमा करते हैं। बैंक में जमा रूपयें से अधिक ब्याज मिलता है, जिसके कारण सदस्य महिलाओं की मदद करने में सुविधा होती है। महिला स्व–सहायता समूह के माध्यम से संबंधित स्वावलंबन और आत्म विकास के साथ आगे बढ़ रही है।

बैंकों की भागीदारी

छत्तीसगढ़ में 17 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों के अनुसार वर्ष 31 मार्च, 2011 की स्थिति में स्वयं सहायता समूहों के कुल खातों की संख्या 45,646 थी, जिनमें सदस्यों की संख्या 430023 थी, जिनकी बचत राषि 2263.67 लाख रूपये थी। उपरोक्त बैंकों में कुल सदस्य संख्या में से एम.जी.एम.वाय. योजना के अंतर्गत गठित स्व–सहायता समूहों की संख्या 22723 थी, इनकी संख्या 2,17,336 थी, जिनकी बचत राषि 1009. 66 लाख रूपये थी। सार्वजनिक क्षेत्र में 17 बैकों में केवल महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या 34,149 थी जिनके सदस्यों की संख्या 3,29,526 थी। इन सदस्यों की बचत राशि 1874.52 लाख रूपये थी।

अध्ययन का उद्देश्य

- रायपुर जिले में महिला स्व–सहायता समूहों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

- रायपुर जिले के चार ब्लॉक के महिला स्व–सहायता समूहों के वित्तीय समावेशन से जीवन स्तर में वृद्वि हुई है।

आंकड़ों का संकलन

प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिये साक्षात्कार सूची तथा प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है व द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु विभिन्न पुस्तकों, शासकीय आंकड़ों व पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया हैं।

अध्ययन की सीमा

शोध अध्ययन केवल रायपुर जिले तक सीमित है। आवश्यकतानुसार नीतियों का अध्ययन राज्य स्तर पर भी किया गया है।

जिले में स्व–सहायता समूह

रायपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों में तिल्दा, आरंग, अभनपुर तथा धरसीवां चार विकासखण्ड प्रशासनिक दृष्टि से शामिल किये गये है।

महिला स्व–सहायता समूह का चयन

शोध तकनीक कार्य योजना अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड से 01–01 महिला स्व–सहायता समूह को सिंपल रेंडम सर्वे से चुना गया है।

प्रत्येक विकासखण्ड में छ.ग. शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क कर विकासखण्ड में पंजीकृत महिला स्व–सहायता समूह की पूरी जानकारी संग्रहित की गई।

तालिका क्रं. 1: जनसंख्या

S.No.	Block Name	Total No. of SHG	Minority Category Wise Member					
			SC	ST	Minority	Others	Total Member	PWD
1.	अभनपुर	1,694	3,316	1,460	57	13,662	18,495	96
2.	आरंग	2,947	8,823	1,109	95	20,724	30,751	2,072
3.	धरसीवां	1,638	3,361	1,020	138	13,878	18,397	72
4.	तिल्दा	2,344	5,267	1,098	60	20,050	26,475	196
	कुल	8,623	20,767	4,687	350	68,314	94,118	2,436

(Source: Ministry of Rural Development)
https://nrlm.gov.in/shgReport.do?methodName=showShgReportForBlock&encd=3316&stateName=CHHATTISGARH&districtName =RAIPUR&reqtrack=kf0g54J4CoDspTAf6goäzo4e

न्यादर्श

रायपुर जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल विकास अधिकारियों से चर्चा कर प्रत्येक विकासखंड से प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु 1–1 स्व–सहायता समूह का देय प्रतिचयन पद्धति से कुल 4 समूहों को स्थल सर्वेक्षण के लिये चुना गया तथा इन चार समूहों में से प्रत्येक समूह से 5 महिलाओं का चयन किया गया। इस प्रकार कुल चार महिला स्व–सहायता समूहों से कुल 20 महिलाओं का चयन किया गया। चयनित समूहो का ब्लॉकवार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका क्रं. 2: न्यादर्श विवरण

क्रमांक	ब्लॉक	स्व–सहायता समूह का नाम	महिलाओं की संख्या
1.	तिल्दा	अन्नपूर्णा स्व–सहायता समूह	05
2.	आरंग	अक्षर सेवा स्व–सहायता समूह	05
3.	अभनपुर	एकता स्व–सहायता समूह	05
4.	धरसीवां	दुर्गा स्व–सहायता समूह	05

(Source: Ministry of Rural Development)
https://nrlm.gov.in/shgReport.do?methodName=showSHGGroupList&encd=3316007078001&stateName=CHHATTISGARH&districtName=RAIPUR

तालिका क्रं. 3: चयनित स्व–सहायता समूहों का आर्थिक सर्वेक्षण

क्रमांक	वर्ष	अन्नपूर्णा स्व–सहायता समूह	अक्षर सेवा स्व–सहायता समूह	एकता स्व–सहायता समूह	दुर्गा स्व–सहायता समूह
1.	2014	5010	5210	6787	8912
2.	2015	6250	6328	7245	8990
3.	2016	7360	7600	8520	9100
4.	2017	8000	8210	9210	9510
5.	2018	8304	8560	9800	9730

आरेख क्रं. 1: चयनित स्व–सहायता समूहों के आर्थिक सर्वेक्षण का आरेखीय प्रदर्शन

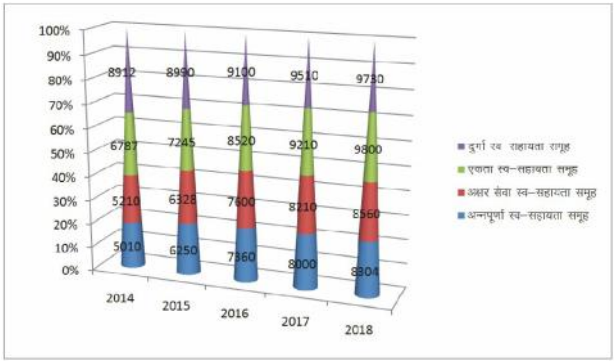

तालिका क्रं. 4: रायपुर जिले में विकासखंड वार स्व–सहायता समूह की जानकारी 2011

क्रं.	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या जहा समूह गठित है	कुल गठित समूह	कुल सदस्य संख्या	समूहों के सदस्यों का वर्गवार विवरण				
					अनु.जाति	अनु.जन.	अ.पि.वर्ग	सामान्य	योग
1	तिल्दा	135	634	7596	731 (9.62)	862 (11.34)	5945 (78.26)	58 (0.76)	7596 (100.00)
2	आरंग	190	834	9366	2580 (27.54)	552 (5.89)	6189 (66.80)	650 (0.69)	9366 (100.00)
3	अभनपुर	100	837	11473	2556 (22.27)	602 (5.24)	7674 (66.83)	641 (5.58)	11473 (100.00)
4	रायपुर शहर	111	298	3103	1522 (49.04)	564 (18.17)	807 (26.0)	210 (6.76)	3103 (100.00)
5	धरसीवॉ–1	92	537	6684	865 (12.94)	577 (7.73)	4931 (73.77)	371 (5.55)	6684 (100.00)
6	धररीवॉ–2	0	261	3342	432 (12.92)	67 (2.0)	2713 (81.17)	130 (3.88)	3342 (100.00)
	योग	628	3401	41564	8686	3164	28239	1475	41564
			प्रतिशत	100.00	20.89	7.61	67.94	3.54	100.00

(Source: Ministry of Rural Development)

आरेख क्रं. 2: रायपुर जिले में विकासखंड वार स्व–सहायता समूह की जानकारी 2011 का आरेखीय प्रदर्षन

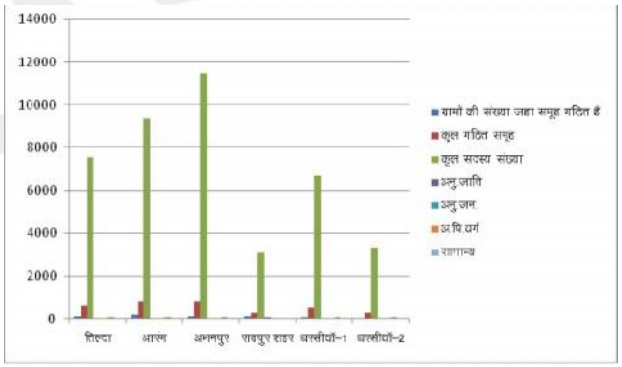

विकासखण्ड वार स्व–सहायता समूह की जानकारी में तिल्दा में 634, आरंग में 834, अभनपुर में 837 तथा धरसीवां में सबसे अधिक 1116 स्व–सहायता समूह पंजीबद्ध किये गये हैं। जिले में कुल 3421 स्व–सहायता समूह

संचालित किये जा रहे हैं।

तालिका 1 में रायपुर जिले में विकासखण्ड वार स्व–सहायता समूह का 2011 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शोध अध्ययन में महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व में प्रदत्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 3421 स्व–सहायता समूह के पंजीयन के आधार पर जानकारी दी गई थी। तालिका 1 के अध्ययन से पता चलता है कि, 2011 की स्थिति में कुल 3401 स्व–सहायता समूह गठित किये गये है। इस बीच कुछ स्व–सहायता समूहों के टूट जाने के कारण संख्या घटकर 3401 तक रह गई है। रायपुर जिले में तिल्दा विकाखण्ड में सबसे अधिक 135 स्व–सहायता समूह 2011 की स्थिति में जीवित थी सबसे कम 92 स्व–सहायता समूह धरसीवां विकासखण्ड में पंजीबद्ध थी। रायपुर शहर में कुल 111 स्व–सहायता समूह गठित किये गये।

स्व–सहायता समूह में विकासखंड वार सबसे अधिक सदस्य संख्या 11,473 अभनपुर विकासखंड में थी, जबकि न्यूनतम 3103 सदस्य रायपुर शहर के स्व–सहायता समूह में दर्ज थी। संकलित आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि, स्व–सहायता समूहों में सबसे अधिक सदस्य समाज में पिछड़े वर्ग के थे, रायपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। जातिवार समूह में सदस्यों की संख्या रायपुर शहर में 49.04 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, जबकि तिल्दा विकासखण्ड में अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या सबसे कम अर्थात 9.62 फीसदी दर्ज है। रायपुर जिले में जातिवार सदस्यों की संख्या 20.89 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.61 प्रतिशत अनूसूचित जनजाति तथा सबसे अधिक 67.54 फीसदी पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित पाई गई।

निष्कर्ष

अध्ययन के उद्देश्यो के आधार पर यह पाया गया कि, शहरी क्षेत्रों की तुलना में विकासखण्ड व तहसील में स्व–सहायता समूह अधिक प्रभावशाली है, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के बस्तियों में लगभग सभी जरूरतमंद महिलाओं को उक्त योजना की जानकारी है वे इस योजना का लाभ लेने के लिए वित्तीय समावेषी प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं या पूर्ण कर चुके हैं। ऐसी महिला व महिलाओं का समूह जिन्होंने स्व–सहायता समूह में प्रवेश किया है उन महिलाओं की आर्थिक जीवन स्तर में आशातीत प्रगति हुयी है। योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ऐसे महिलाओं द्वारा अधिक लिया जा रहा हैं जिन्होंने अपना खाता (बचत) विगत वर्षो में खुलवायें हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक असमानता, लिंगभेद, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक पिछड़ेपन आदि की विकराल विसंगतियों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। महिलाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास का तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है और इसी से सम्पूर्ण विकास की धारा बहती है। 30 जनवरी, 2006 को महिलाओं और बच्चों के मामले में शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के कमी को पूरा करने और अंतर मंत्रालयों व अंतर क्षेत्रीय समग्रता को संर्वद्धित करने की दृष्टि से एक पृथक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया है, ताकि समान लिंग एवं बाल केंद्रित विद्यायन, नीति नियमन के कार्यक्रमों को किया जा सकें। महिलाओं व बच्चों के अधिकारों एवं चिंताओं पर काम करना एवं उनकी उत्तरजीविका की सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्राथमिक कर्तव्य हैं। राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों के विभिन्न महिला स्व–सहायता समूह द्वारा इस दिशा में स्वयं के सशक्तिकरण के साथ–साथ उक्त मंत्रालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी योगदान कर रहे हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाएं उक्त कार्यों को फलीभूत कर रहे हैं एवं जनधन योजना व अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशी एकमात्र माध्यम है।

संदर्भ सूची

1. American Self-Help Clearinghouse. *Self-Help Sourcebook Online*. Mental Help Net, 1993–2002.
2. Borkman, Thomasina Jo. *Understanding Self-Help/Mutual Aid: Experiential Learning in the Commons*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1999.

3. DuPont, Robert L. *The Selfish Brain: Learning from Addiction.* Washington, DC: American Psychiatric Press, Inc., 1997.
4. Galanter, Marc, Ricardo Castañeda, and Hugo Franco. "Group Therapy, Self-Help Groups, and Network Therapy." In *Clinical Textbook of Addictive Disorders,*, edited by Richard J. Frances and Sheldon I. Miller. 2nd ed. New York: Guilford Press, 1998.
5. Hyndman, Brian. *Does Self-Help Help? A Review of the Literature on the Effectiveness of Self-Help Programs.*Evaluation in Health Promotion Series: Canadian and International Perspectives, no. 7. Toronto: Center for Health Promotion, University of Toronto, 1997.
6. Lefley, Harriet P. "Advocacy, Self-help, and Consumer-Operated Services." In *Psychiatry,* edited by Allan Tasman, Jerald Kay, and Jeffrey A. Lieberman. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1997.
7. Miller, Norman S., ed. *The Principles and Practice of Addictions in Psychiatry.* Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1997.
8. Aloholics Anonymous. Grand Central Station, PO Box 459, New York, NY 10163. <www.alcoholicsanonymous.org>.
9. Gilda's Club Worldwide. 322 Eighth Avenue, Suite 1402, New York, NY 10001. (888) GILDA-4-U. <http://www.gildasclub.org/>.
10. https://www.census2011.co.in/

****